न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/91

1. रामजी लाल पुत्र श्री गंगाधर, जाति मीणा, निवासी सिकराय जिला दौसा राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. तहसीलदार सिकराय, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 11.04.2014 प्रकरण संख्या 22/2013 उनवानी रामजीलाल बनाम सरकार जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 07.03.2013 को तहसीलदार सिकराय द्वारा निरस्त किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री अरविन्द कुमार पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 11.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 11.04.2014 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 28.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष एक अपील बाबत नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 07.03.2013 ग्राम रामा सिकराय तहसील सिकराय, जिला दौसा इस आशय की पेश की गई कि भूमि खसरा नम्बर 1877 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 1249 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रामा सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। यह भूमि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की है। जिस पर अपीलांट अरसे दराज से अपने पूर्वजों के समय से आज रोज तक कब्जा काश्त कर रहा है तथा फसल उत्पादन से फलीभूत होता चला आ रहा है। अपीलान्ट का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

मूल्या (फौत)

रामदेव (फौत)	सुखलाल (फौत)	सांवल्या (फौत)
गंगाधर (फौत)	सुन्दर (नाऔलाद फौत)	सुन्दर (फौत)
		गुलाबी (फौत)

सजरा खानदान के अनुसार मृतक मूल्या के तीन पुत्र हुए थे पहला रामदेव दूसरा सुखलाल, तीसरा का नाम सांवल्या था, रामदेव के पुत्र का नाम गंगाधर, सुखलाल के पुत्र का नाम सुन्दर तथा सांवल्या के पुत्र का नाम सुन्दर था, गंगाधर के पुत्र का नाम रामजीलाल है जो कि अपीलान्ट है। सुन्दर नाओलाद फोत हो गया तथा दुसरे सुन्दर के एक गुलावी नाम की लडकी हुई थी। सुन्दर की लडकी का नाम गुलबी था जिसका विवाह ग्राम घूमणा तह० दौसा में हुआ था जिसका आज दिन निधन हो चुका है। गुलाबी के भात जामने आदि रामजीलाल पुत्र गंगाधर अपीलान्ट ही करता आ रहा है। गुलाबी के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

पिता सुन्दर की सेवा सुश्रुषा भी अपीलान्ट रामजीलाल द्वारा ही की गई और उसके बारह ब्राहम्ण आदि भी रामजीलाल ने ही किये थे तथा मृतक सुन्दर की पगडी भी रामजीलाल के ही बंधी इस प्रकार अपीलान्ट रामजीलाल दोनों सुन्दरों के सगे भाई का लडका है तथा उसकी चल अचल संपत्ति का मालिक है नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनाक 07.03.2013 पटवारी हल्का सिकराय द्वारा अपीलान्ट के नाम से सुन्दर का विरासत का भर दिया गया परन्तु पुनःश्चय करके यह लिखा कि मौके पर जांच की गई वरवक्त मौका जांच में वारिस की सही पुष्टि नहीं होती है उसके साथ गुलाबी पुत्र सुन्दर मीना भी वारिसान है। सहवन से नामान्तरकरण गलत दर्ज हो गया अतः नामान्तरकरण खारिज योग्य है। मृतक सुन्दर का एक मात्र वारिस अपीलान्ट रामजीलाल ही है। इसके अलावा मृतक सुन्दर का और कोई वारिस नहीं है तथा विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम से ही दर्ज होना चाहिए था परन्तु तहसीलदार सिकराय ने इन सब बातों को नजर अन्दाज करते हुए नामान्तरकरण खारिज कर दिया जो कि कानूनन गलत है। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2014 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सिकराय जिला दौसा का आदेश दिनांक 07.03.2013 नामान्तरकरण संख्या 2308 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये गये कि मृतक सुन्दर के वास्तविक वारिसान की जांच कराकर, पक्षकारान को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 11.04.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामजीलाल पुत्र गंगाधर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2014 को संशोधित करते हुये सम्पूर्ण अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 07.03.2013 अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्याय–नियम, विधि–विधान एवं तथ्यों तथा कानून के खिलाफ होकर के क्षेत्राधिकार के उपयोग की कमी युक्त होने के कारण से निरस्तनीय है। माननीय प्रथम अपीलाधिकारी जी ने यद्यपि समस्त कथनों का सही–सही विवेचन किया हैं परन्तु उन्होनें इस कानूनी स्थिति पर कतई ही ध्यान नहीं दिया कि, अपीलीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां स्वतः समाहित हो जाती है। इसलिए प्रकरण में उन्हें स्वयं निर्णय कर अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसलिए उपरोक्त प्रकार से अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ही ध्यान नहीं दिया हैं कि सांवल्या पुत्र गुलाबी का स्वर्गवास हो चुका था और उसके मुकावलें कानूनन अपीलार्थी प्रथम वारिस होने के नाते उसकी उपस्थिति में भी समस्त प्रकार से उत्तराधिकारी होने के कारण से नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे, ना कि प्रकरण को रिमाण्ड। इस प्रकार माननीय अपीलीय प्रथम का आदेश दिनांक 11.04.2014 संशोधित किये जाकर नामांतरकरण अपीलार्थी के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलार्थी ने प्रथम न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट इस संबंध में प्रस्तुत कर रखी थी। जिन्हें उन्होनें नजरअंदाज कर प्रकरण को गलत रूप से रिमाण्ड किया है। जो आदेश दिनांक 11.04.2014 संशोधन योग्य है। पूर्व में अपीलाधीन आदेश के संबंध में प्रार्थी अपीलांट को कोई भी सही–सही जानकारी कानूनी रूप से नही दी गई थी। तथा अपीलार्थी ने श्रीमान तहसीलदार जी सिकराय का नोटिस आने पर जब समस्त

कागजात जयपुर लाकर दो–तीन वकीलों से सम्पर्क किया तो उन्होनें उक्त आदेश दिनांक 11.04.2014 के खिलाफ अपील करने की सलाह दिनांक 01.02.2025 को दी। जिस पर यह अपील तैयार कर श्रीमान जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसे समयावधि में शुमार किये जाने के आदेश पारित किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय ने रिमांड के कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। इसलिए आदेश दिनांक 11.04.2014 संशोधन का अपील पूर्ण स्वीकार योग्य थी।

अपीलाधीन आदेश के संबंध में प्रार्थी अपीलांट को कोई भी सही–सही जानकारी कानूनी रूप से नहीं दी गई थी। तथा अपीलार्थी ने श्रीमान तहसीलदार जी सिकराय का नोटिस आने पर जब समस्त कागजात जयपुर लाकर दो–तीन वकीलों से सम्पर्क किया तो उन्होनें ने उक्त आदेश दिनांक 11.04.2014 के खिलाफ अपील करने की सलाह दिनांक 01.02.2025 को दी। जिस पर यह अपील तैयार कर श्रीमान जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसे समयावधि में शुमार किये जाने के आदेश पारित किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकार से अपीलाधीन आदेश कानूनन क्षेत्राधिकार की कमी व त्रुटि होने के कारण से ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है। जिसे न्यायहित में गुणावगुण पर सुनकर आदेश पारित किया जाना चाहिए। अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुये अपील को निर्धारित समय सीमा में माने जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील अपीलार्थी श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार करते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2014 को संशोधित करते हुऐ सम्पूर्ण अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 2308 दिनांक 07.03.2013 अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 11.04.2014 पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को पूर्व में अपीलाधीन आदेश के संबंध में कोई भी सही–सही जानकारी कानूनी रूप से नहीं दी गई थी। अपीलार्थी को तहसीलदार सिकराय का नोटिस आने पर जब समस्त कागजात जयपुर लाकर दो–तीन वकीलों से सम्पर्क किया तो उन्होनें उक्त आदेश दिनांक 11.04.2014 के खिलाफ अपील करने की सलाह दिनांक 01.02.2025 को प्राप्त होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि विवाद प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 23.08.2012 जो अपीलान्ट रामजीलाल पुत्र श्री गंगाधर के नाम भरा गया तथा तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2013 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2308 को निरस्त कर दिया को लेकर है। अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2308 दिनांक 07.03.2013 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दौसा ने यह माना कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम मृतक सुन्दर की विरासत मानते हुए भर दिया गया बाद में पुनश्चय करते हुए यह लिखकर कि मौके पर जांच की गई मौका जांच करते समय वारिसान की सही पुष्टि नहीं होती है। इसके साथ गुलाबी पुत्री सुन्दर मीना भी वारिसान है। नामान्तरकरण खारिज योग्य है तथा आई.एल.आर. व तहसीलदार सिकराय द्वारा भी पटवारी रिपोर्ट को सही मानते हुए नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया।

अपील के साथ अपीलान्ट ने कार्यालय ग्राम पंचायत सिकराय का प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां, जागा की लिखावट की फोटो प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत घूमणा के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, वसीयत तथा मौका पर्चा की फोटो प्रति पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा मृतक सुन्दर के वारिसान की जांच किये बिना पक्षकारों को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना ही दिनांक 07.03.2013 को आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 07.03.2013 नामान्तरकरण संख्या 2308 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये गये कि मृतक सुन्दर के वास्तविक वारिसान की जांच कराकर, पक्षकारान को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2014 पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2014 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर